(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 45–दो/2007 – विरूध्द – आदेश दिनांक 10.10.2006 पारित – व्दारा – आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण कमांक 112/2003–04 निगरानी

बसंत कुमारी पुत्री प्रतिपालसिंह
ग्राम कमताना तहसील गुनौर
जिला पन्ना, मध्य प्रदेश ———आवेदिका

विरूध्द

मध्य प्रदेश शासन ——अनावेदक

आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव
अनावेदक के पेनल अभिभाषक श्री एच.के.अग्रवाल

आदेश

(आज दिनांक 19-8 2014 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 112/2003–04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10.10.2006 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी गुनौर ने तहसीलदार गुनौर के प्रतिवेदन दिनांक 27–1–97 (हस्ताक्षरित 30–1–97) के आधार बनाकर कलेक्टर पन्ना को प्रतिवेदित किया कि नायव तहसीलदार अमानगंज ने प्रकरण कमांक 35/अ–19/1994–95 में पारित आदेश दिनांक 17–8–1995 से आवेदिका के हित में ग्राम ककरा की भूमि सर्वे कमांक 700 एंव 702 रकबा 2.000 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) व्यवस्थापन नियम विरूद्व किया है इसलिये नायव तहसीलदार के आदेश को स्वमेव निगरानी में लिया जावे। कलेक्टर पन्ना ने प्रकरण कमांक

52/2001–02 स्वमेव निगरानी पंजीबद्व किया तथा आवेदिका को नोटिस जारी करके आदेश दिनांक 18–11–2002 पारित किया तथा नायव तहसीलदार अमानगंज के व्यवस्थापन आदेश दिनांक 17–8–1995 को निरस्त कर वादग्रस्त भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व आयुक्त, सागर संभाग, सागर के यहां निगरानी प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 112/2003–04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10.10.2006 निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरणों के अवलोकन पर पाया गया कि कलेक्टर पन्ना ने आदेश दिनांक 18–11–2002 के पद 4 में यह निष्कर्ष दिया है –

'' म0प्र0कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूगिरवामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के प्रावधानानुसार भूमिस्वामी अधिकारों की पात्रता के लिये व्यक्ति कृषि श्रमिक होना चाहिये तथा 2 अक्टूवर 1984 को कृषि भूमि उसके कब्जे में होना चाहिये।''

कलेक्टर पन्ना ने उक्तांकन कर आवेदिका को वादग्रस्त भूमि पर 2–10–84 से कब्जेदार नहीं माना है और भूमि व्यवस्थापन निरस्त कर दिया है, जबकि कलेक्टर पन्ना के प्रकरण कमांक 52/2001–02 स्वमेव निगरानी में तहसीलदार गुनौर व्दारा आर्डरशीट दिनांक 27–1–97 पर अंकित प्रतिवेदन के पद 11 अनुसार पटवारी प्रतिवेदन के मुताविक आवेदिका के नाम कोई भूमि नहीं होना बताया और अंकित किया है कि आवेदिका के पिता की भूमि जानकारी नहीं है। इसी प्रकार तहसीलदार के प्रतिवेदन के पद 6 में बताया गया है कि आवेदिका का कब्जा 1995–96 में एंव सरपंच के प्रमाण पत्र में 15–20 वर्ष से होना बताया है जिसकी पुष्टि प्रमाणित खसरा नकलों अर्थदण्ड रसीद एंव नायव तहसीलदार के मौके की जांच रिपोर्ट एंव साक्षियों के कथनों

से नहीं की है। तात्पर्य यह है कि नायव तहसीलदार ने भूमि व्यवस्थापन के पूर्व ग्रामीण साक्षियों के कथन लिये है ग्राम पंचायत ने नायव तहसीलदार के व्यवस्थापन प्रकरण वर्ष 1994–95 में प्रमाणीकरण दिया है कि आवेदिका का वादग्रस्त भूमि पर 15–20 साल से कब्जा चला आ रहा है यदि 1994 के 15 वर्ष पूर्व से कब्जा माना जाय, तब यह कब्जा 1979 से चले आना प्रमाणित होता है जबकि ग्राम पंचायत ने 15–20 वर्ष पूर्व से कब्जा होने का प्रमाणीकरण दिया है। स्पष्ट है कि तहसीलदार का प्रतिवेदन दिनांक 27–1–97 प्रकरण में आई वास्तविकता को नजरन्दाज कर प्रस्तुत किया गया है और ऐसे प्रतिवेदन के आधार पर आवेदिका के हित में किया गया व्यवस्थापन आदेश दिनांक 17–8–95 आदेश के लगभग 7 वर्ष वाद स्वमेव निगरानी में 18–11–2002 को निरस्त करना उचित नहीं है।

5/ प्रकरण में आये तथ्यों से प्रमाणित हुआ है कि नायव तहसीलदार ने व्यवस्थापन आदेश दिनांक 17.8.1995 जारी करने के पूर्व ग्राम में जाकर वादोक्त भूमि का स्थल निरीक्षण किया है ग्रामीणों की साक्ष्यांकित की है तथा 2–10–1984 के पूर्व से अतिकमण होना पाये जाने तथा आवेदिका के संबंध में हलका पटवारी व्दारा भूमिहीन होने का पुष्टिकरण करने के कारण वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन किया है। आवेदिका के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि भूमि व्यवस्थापन के उपरांत आवेदिका ने वादग्रस्त भूमि में सिंचाई का साधन बनाने हेतु टयूव वैल उत्खनित किया है एंव मेढ़ बंधान एंव भूमि के समतलीकरण पर काफी धन व श्रम व्यय किया है तथा आवेदिका के पास जीवकोपार्जन का एकमात्र साधन यही भूमि है उन्होंने स्वमेव निगरानी अत्याधिक विलम्ब से करना बताया।

यदि आवेदिका के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत इन तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय, स्थिति यह है कि –

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 50 — जब किसी पक्षकार को बहुमूल्य अधिकार प्राप्त हो गए हों तब विलम्ब से किया गया पुनरीक्षण अवधि—वाधित है और ऐसा विलम्ब 01 वर्ष भी अयुक्तियुक्त है।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 — भूमि का आवन्टन किया गया — सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गल्तियॉ की गई — प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई त्रृटियों के कारण पात्र भूमिहीन को भूमि के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता । (इन्दरसिंह तथा अन्य विरूद्व म.प्र.शासन 2009 रा.नि. 251 से अनुसरित)

स्पष्ट है कि कलेक्टर पन्ना व्दारा प्रकरण की प्रत्यक्ष परिस्थिति में न जाते हुये तहसीलदार गुनौर के अवास्तविकता पर आधारित प्रतिवेदन को आधार पर मानकर आवेदिका के हित में किये गये भूमि व्यवस्थापन आदेश दिनांक 17—8—1995 को निरस्त करने में त्रृटि की है तथा आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने भी इन तथ्यों पर ध्यान न देने में भूल की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 112/2003—04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10.10.2006 एंव कलेक्टर पन्ना व्दारा प्रकरण कमांक 52/2001—02 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18—11—2002 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। परिणामतः आवेदिका के हित में ग्राम ककरा की भूमि सर्वे कमांक 700 एंव 702 रकबा 2.000 हैक्टर का किया गया व्यवस्थापन यथावत् रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर